IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGE
BHOJPUR AT ARA
Presiding Officer- Sri Purushottam Mishra

Title.Appeal No.11 of 2022
Hasina Khatoon Vs Mobarak Khan & ors

Date of Order Proceeding	Order with Signature of the Court	Office action taken with date
04.06.2026	अपीलार्थी की नहीं पैरवी है। वाद पुकारा गया पुकार पर उत्तरवादी की विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 11.12.2025 से इस न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं है ना हीं अभिलेख को प्रचालित किया गया। अपीलार्थी को इस स्वत्व अपील में कोई अभिरूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा दाखिल स्वत्व अपील को खारिज करने की कृपा किया जाए। अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 11.12.2025 से इस न्यायालय में उपस्थित नहीं है ना हीं अभिलेख को प्रचालित किया गया है। अपीलार्थी न्यायालय में पुकार पर भी उपस्थित नहीं होते है। जिससे स्पष्ट होता है कि इस स्वत्व अपील में अपीलार्थी को कोई अभिरूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वत्व अपील को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश–41 नियम–17 के अंतर्गत वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय अग्रिम कार्रवाई उपरांत अभिलेख को अभिलेखागार में संचित करें। पुरूषोत्तम मिश्र प्रधान जिला न्यायाधीश	